भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2834 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता

2834. श्रीमती नवनीत रवि राणाः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों और रेलवे डिब्बों में स्वच्छता प्रणाली अनुचित और अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे के पास रेल डिब्बों को स्वीकृत मानकों तक स्वच्छता और रखरखाव में सुधार हेतु वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करने की कोई ठोस योजना है;

(ग) क्या सरकार अधिकारियों/पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर स्वच्छता से संबंधित नियमित जांच करा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता प्रणाली में सुधार हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): रेलवे स्टेशनों और रेलवे सवारी डिब्बों में स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है और महाराष्ट्र के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों को उचित और साफ-सुथरी स्थिति में रखने का यथा समय प्रयास किया जाता है। महाराष्ट्र क्षेत्र सहित भारतीय रेल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए मानदंडों के अनुसार शौचालय मुहैया कराए गए हैं। दिव्यांगों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के

लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के अंतर्गत लगभग 3850 स्टेशनों पर दिव्यांग अनुकूल शौचालय मुहैया कराए गए हैं। भारतीय रेल के 883 स्टेशनों पर पे एण्ड यूज़ शौचालय और 77 स्टेशनों पर डीलक्स पे एण्ड यूज़ शौचालय मुहैया कराए गए हैं। यह सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है।

भारतीय रेल द्वारा रेलों पर स्वच्छता में सुधार लाने और रेल सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे भाग (ख) से (घ) में दिए गए है।

(ख) से (घ): भारतीय रेलें गाड़ियों और स्टेशनों की साफ-सफाई और अनुरक्षण में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इस उद्देश्य के लिए, प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और सुधार के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों की स्वच्छता पर वार्षिक आधार पर एक तृतीय पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा सह सर्वेक्षण किया जा रहा है। 2018 से गाड़ियों के लिए इसी तरह का लेखा परीक्षा सह सर्वेक्षण शुरू किया गया है। निरंतर किए जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैं:-

I. भारतीय रेल ने लगभग 67,000 सवारी डिब्बों में 2,40,000 जैव-शौचालय संस्थापित किए हैं ताकि मानव अपशिष्ट को रेलपथ पर गिरने से रोका जा सके।

II. सवारी डिब्बों की यंत्रीकृत सफाई दोनों ओर की जाती है।

III. सवारी डिब्बों की बाहरी धुलाई की गुणवत्ता में सुधार लाने और जल संरक्षण के लिए 17 ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट लगाए गए हैं।

IV. महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों सहित लगभग 1100 लंबी दूरी की जोड़ी गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा मुहैया कराई गई है।

V. सिंगल विंडो इंटरफेस के रूप में, लगभग 1060 जोड़ी ओबीएचएस गाड़ियों में 'कोच मित्र' सेवा मुहैया कराई गई है, जिसमें साफ-सफाई, कीटनाशन, लिनेन, गाड़ी की लाइटिंग, एयरकंडीशनिंग और सवारी डिब्बों में पानी जैसी यात्रियों की कोच संबंधी आवश्यकताओं को दर्ज किया जाता है।

VI. चिह्नित गाड़ियों में सीमित यंत्रीकृत साफ-सफाई पर ध्यान देने के लिए 39 क्लीन ट्रेन स्टेशन (सीटीएस) शुरू किया गया है।

Sk

VII. सवारी डिब्बों में प्राधिकृत पेशेवर एजेन्सियों के माध्यम से नियमित आधार पर कीट एवं कृंतक नियंत्रण किया जा रहा है।

VIII. एसी व नॉन-एसी सवारी डिब्बों में कूड़ेदान रखने का प्रावधान किया जाता है।

IX. स्वच्छ बेडरोल उपलब्ध कराने के लिए 66 मशीनीकृत लॉन्ड्री स्थापित की गई हैं।

X. हाउसकीपिंग/सफाई ठेकों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) और सेवाओं के लिए ठेके की शर्तें (जीसीसीएस) जारी की गई हैं।

XI. आवधिक निर्धारित अनुरक्षण कार्यक्रमों जिनके दौरान सवारी डिब्बों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है, के माध्यम से स्वीकृत मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां मौजूद हैं।

XII. अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के स्तर पर सफाई संबंधी नियमित जांचें/औचक जांचें की जाती है और जहां भी कोई कमी नजर आती है, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

XIII. प्लेटफॉर्मों, प्रतीक्षा कक्षों, प्रतीक्षालयों, प्रवेश उपकक्षों, परिसंचारी क्षेत्र, फुट ओवर ब्रिज, शौचालयों, प्लेटफॉर्म लाइनों आदि की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए लगभग 950 स्टेशनों पर एकीकृत मशीनीकृत सफाई अनुबंधों की शुरुआत की गई है।

XIV. 1310 कचरा उठाने के ठेके और/या कचरा निपटान ठेके स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।

XV. 883 स्टेशनों पर पे एंड यूज़ शौचालयों और 77 स्टेशनों पर डीलक्स पे एंड यूज शौचालयों और 3850 स्टेशनों पर दिव्यांग अनुकूल शौचालयों सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर शौचालय मुहैया कराए गए हैं।

XVI. ठोस/प्लास्टिक कचरे और जैव-निम्नीकरणीय कचरे का उचित संग्रह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1000 स्टेशनों पर स्पष्ट पहचान वाले दोहरे कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं।

Sk

XVII. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, एकल उपयोग प्लास्टिक (50 माइक्रोन मोटाई से कम प्लास्टिक) के उन्मूलन के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

XVIII. 229 स्टेशनों पर 315 प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनें लगाई गई हैं।

XIX. 700 से अधिक स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सफाई की सघन निगरानी की जाती है।

XX. भारतीय रेल (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाले गतिविधियों की रोकथाम) नियमों, 2012 के कार्यान्वयन में तेजी आई है।

******

Sk